CNR UPJL010021272025
Jo Code- UP01566

Presented on : 22-04-2025
Registered on : 22-04-2025
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 10 months, 19 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट), जालौन स्थान उरई।

उपस्थित–पारूल पँवार, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक निगरानी संख्या–69/2025

अनिल कुमार पुत्र शंकर लाल, निवासी पहाड़ी चुंगी के पास, कस्बा चिरगांव, थाना कोतवाली चिरगांव, जिला झांसी।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– उ0प्र0 राज्य
2– शिवा शिवहरे उर्फ भोले पुत्र स्व0 राकेश कुमार शिवहरे, निवासी पहाड़ी चुंगी के पीछे, कस्बा व थाना चिरगांव, जिला झांसी।

.....प्रत्यर्थीगण

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच जिला जालौन के द्वारा दाण्डिक प्रकीर्णवाद संख्या–02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवहरे में पारित आदेश दिनांकित 23.01.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0, दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025 निरस्त कर दिया गया है।

2. संक्षेप में निगरानीकर्ता/प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी शराब का व्यवसायी है और उसकी लाईसेसी दुकानें कस्बा एट व ग्राम सामी तथा कस्बा पूंछ में हैं। इस शराब के व्यवसाय के लिए दुकानों पर सेल्समैन नियुक्त करने तथा दुकानों से शराब बिक्री का धन लाकर बैंक में जमा करने, शराब गोदाम से माल उठाने व आबकारी आदि सरकारी विभाग में सम्पर्क करने आदि कार्य के लिए आवेदक ने अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले को अपना मैनेजर नियुक्त किया था और आवेदक का व्यवसायिक कार्य प्रभावित न हो तथा व्यापार सुचारू रूप से चल सके, इस निमित्त आवेदक उक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले के पास अपने हस्ताक्षरों की पच्चीस कोरी चैके उस पर विश्वास करके दे दिया करता था, ताकि वह माल गोदाम से माल उठाने के लिए उन चैकों पर धनराशि अंकित कर जमा कर सके और माल का उठान कर सके। इन कोरी हस्ताक्षरयुक्त बैंकों के आधार पर उक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले ने बैंक से कई संव्यवहार किए, किन्तु बाद में जब आवेदक को जानकारी हुई कि उक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले आवेदक के रूपयों की हेराफेरी कर रहा है

Digitally signed by PARUL PANWAR
Date: 2026.03.16 16:20:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तो आवेदक ने दिनाक 31.05.2020 को अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले को मैनेजर पद से हटा दिया। आवेदक दिनांक 05.08.2020 को अपनी ग्राम सामी स्थित शराब की दुकान से अपने निवास कस्बा चिरगांव जा रहा था तो रास्ते में ग्राम सामी व ग्राम पीपरी के मध्य आवेदक का बैग जिसमें एच०डी०एफ०सी० बैंक शाखा चिरगांव जिला झांसी के खाता संख्या 50200030585903 की चै. कें बुक जिसमें बैंक खाता संख्या 000006 व 45,80,84,90 व 94 तथा खाता सख्या 501021966898 की चैकें बुक संख्या 1,12,13,14 15,16,17,18 24,25,26,27,28,29 व 30 आवेदक के हस्ताक्षरयुक्त एवं कोरी थीं, कहीं गिर गईं, आवेदक बैग व उसमें रखी चैकों को तलाश करता रहा, किन्तु नहीं मिली। दिनांक 11.08.2020 को 6,00,000/–रूपये आवेदक के खाते से उक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले ने अपने खाते में बेईमानीपूर्वक अन्तरित कर लिए। जब आवेदक को इसकी जानकारी हुई तब आवेदक ने दिनांक 13.08.2020 को बैंक को सूचित करके अपना खाता बन्द करा दिया। आवेदक की हस्ताक्षरयुक्त इन कोरी चैकों का कोई दुरुपयोग न कर ले, इसलिए इसकी सूचना आवेदक ने दिनाक 18.08.2020 को थाना कैलिया में लिखित रूप से दी, जिसका इन्द्राज उस दिन थाना कैलिया के रोजनामचाआम में किया गया। आवेदक एक आपराधिक प्रकरण में जिला कारागार झॉसी में निरुद्ध हुआ। उसी दौरान आवेदक की खोई हुई उक्त चैकों को किसी प्रकार उक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले ने प्राप्त कर लिया और उन चैकों में से दो चैकें सं0 000006 पर तथा चैके सं0 000045 पर अपने लेख में 65,00,000/– रूपये शब्दों तथा अंको में भरकर और उनमें दिनांक 22.04.2021 की तिथि डालकर और Payee/धारक के रूप में अपना नाम डालकर भुगतान हेतु बैंक में दिनांक 22.04.2021 को तत्पश्चात् दिनांक 19.07.2021 को प्रस्तुत की, किन्तु आवेदक द्वारा अपना खाता बन्द कराये जाने के कारण उन चैकों का भुगतान नहीं हो सका। उपर्युक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ गोले ने आवेदक की रकम को हडपने के लिए आवेदक की मूल्यवान प्रतिभूति उक्त चैकों की कूटरचना की और छल–कपट करके भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत की और अमानत में ख्यानत करते हुए बेईमानीपूर्वक 6,00,000/– रुपये की रकम आवेदक के खाते से अपने खातें में अन्तरित कर हडप ली और मिथ्या अभियोजन किए जाने की दुर्भावना से इन भुगतान न हुई चैकों का सहारा लेकर आवेदक के विरूद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, झाँसी के समक्ष परिवाद संख्या 9135/2021 दायर कर दिया। उपर्युक्त अभियुक्त शिवा शिवहरे उर्फ भोले द्वारा की गयी बेईमानी और रूपया हडपने तथा चैकों की कूटरचना एवं आवेदक के साथ की गयी धोखाधडी व छल कपट की प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक ने थाना कैलिया में दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि विद्वान न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश तथ्यों के विपरीत, आपत्तिजनक एवं अवैधानिक है। विद्वान न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन न कर स्वकल्पनाओं पर आधारित प्रश्नगत आदेश पारित करके भूल की है। विद्वान न्यायालय द्वारा न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग न करते हुये

प्रश्नगत आदेश पारित करके भूल की है। विद्वान न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में यह कहना कि पुनरावेदक के पास एन०आई० एक्ट जो कि विशेष अधिनयिम है, का विकल्प मौजूद था, विधितः पूर्णत त्रुटिपूर्ण और विधि के प्रावधानों के विपरीत है। विद्वान न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि पुनरावेदक का प्रार्थना पत्र अभियुक्त द्वारा उसकी मूल्यवान प्रतिभूतियों का बेईमानीपूर्वक छल कपट करने उनका कूटकरण कर सदोष आर्थिक लाभ प्राप्त करने से सम्बन्धित है, जो प्रथम दृष्टया सामान्य दण्ड विधि बी०एन०एस० के प्रावधानों के अन्तर्गत आता है और जिससे एन०आई० एक्ट जैसी विशेष विधि के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। विद्वान न्यायालय इस प्रश्नगत आदेश गुण दोष के आधार पर पारित न करके मात्र विधि के सुस्थापित सिद्धान्त कि जब किसी सामान्य एवं विशेष प्रावधान के बीच टकराव होता है तो विशेष प्रावधान प्रबल होता हैष को आधार पर मानकर पारित किया है जबकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि वास्तव में पुनरावेदक के पास विशेष अधिनियम एन०आई० एक्ट के तहत कोई विधिक उपचार (लीगल रेमेडी) प्राप्त करने का कोई प्रावधान/विकल्प नहीं है। चैकें अनादरण और धोखाधड़ी दो अलग–अलग अपराध हैं और चैकें अनादरण के लिये एन०आई० एक्ट जैसा विशेष अधिनियम में उपबन्ध है जबकि धोखाधड़ी, कूटकरण जैसे दाण्डिक कृत्य बी०एन०एस० के तहत सामान्य दण्ड विधि के अन्तर्गत दण्डित होते हैं, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर न करके प्रश्नगत आदेश पारित करके भूल की गयी है। विद्वान न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश इललीगल, इम्प्रॉपर, इरेगुलर है जो निरस्त होने योग्य है। अतः उपरोक्त आधारों पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 को अपास्त करते हुए यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है।

4. निगरानीकर्ता की ओर से इस निगरानी के साथ अपना शपथपत्र कागज सं0 4ख तथा सूची 6ख से सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच जिला जालौन द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं0 7ख/1 ता 7ख/2, जी.डी. सं0 32 दिनांकित 18.08.2020 की छायाप्रति कागज सं0 8ख तथा आधार कार्ड की छायाप्रति कागज सं0 9ख दाखिल किये गये है।

5. निगरानी में प्रत्यर्थी सं0 2 को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विद्वान अधिवक्ता का वकालतनामा दाखिल किया गया, परन्तु बहस के स्तर पर सुनवाई/बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी निगरानीकर्ता व प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से न्यायालय में बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः इस निगरानी का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस/तर्क सुने गये।

6. प्रत्यर्थी सं0 1 उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रश्नगत निगरानी में विधि का कोई बल न होने तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने का तर्क प्रस्तुत करते हुए इस निगरानी को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

7. निगरानीकर्ता के निगरानी मेमो में उल्लिखित किये गये आधारों व प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से तथा विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी सं0 1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को का सम्यक् विश्लेषण अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, प्रपत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आलोक में करने के उपरांत निम्नांकित निष्कर्ष निकाला जाता हैः–

<u>निष्कर्ष</u>

8. प्रस्तुत निगरानी दाण्डिक प्रकीर्णवाद संख्या–02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवहरे में पारित आदेश दिनांकित 23.01.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है कि दिनांक 05.08.2020 को प्रार्थी अपने निवास कस्बा चिरगांव वाया ग्राम पीपरी जा रहा था तो रास्ते में ग्राम सामी व पीपरी के मध्य प्रार्थी/निगरानीकर्ता का बैग, जिसमें प्रार्थी के एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा चिरगांव, जिला झांसी के खाता सं0 50200030585903 की चैकबुकें तथा खाता सं0 501021966898 की चैकेंबुक, जिनमें प्रार्थी के हस्ताक्षरयुक्त व कोरी चैकें थी, कहीं गिर गयी, जिसकी सूचना उसके द्वारा दिनांक 18.08.2020 को थाना कैलिया में लिखित रूप में दी थी। उक्त खोई हुई चैकों को विपक्षी ने किसी प्रकार प्राप्त कर लिया था तथा प्रार्थी की धनराशि हड़पने के लिये प्रार्थी की चैकों का दुरूपयोग करके व कूटरचना करके बेईमानीपूर्वक 6,00,000/–रूपये धनराशि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के खाते से अपने खाते में अन्तरित करके हड़प ली।

9. इस संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी जो दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवरहे उर्फ भोले की पत्रावली में आख्या दिनांकित 05.01.2025 कागज सं0 6ख/1 है। उक्त थाना आख्यानुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.08.2020 को समय 17.47 बजे जी.डी. नं0 32 पर गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी तथा उक्त थानाख्या के साथ उक्त जी.डी. सं0 32 की प्रति कागज सं0 10ख/2 के रूप में संलग्न पत्रावली है। उक्त थानाख्या दिनांकित 05.01.2025 में स्पष्ट रूप से यह भी अंकित है कि ''जहां तक चैकबुकों के दुरूपयोग करने का संबंध है तो यह घटना थाना स्थानीय के क्षेत्र की नहीं है। विपक्षी द्वारा चैकों का दुरूपयोग थाना क्षेत्राधिकार चिरगांव का है, जो जिला झांसी में स्थित है।'' अर्थात उक्त थानाख्यानुसार यह प्रकरण जनपद झांसी के अन्तर्गत स्थित थाना क्षेत्र का मामला है।

10. दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025 की पत्रावाली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त थानाख्या दिनांकित 05.01.2025 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट में दाखिल होने के उपरान्त दिनांक 06.01.2025 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रार्थी को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर

बहस/सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया तथा अग्रिम नियत तिथि दिनांक 09.01.2025 को पत्रावली प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एन0एस0 पर आदेश हेतु नियत कर दी गयी। दिनांक 23.01.2025 को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते हुए उक्त दाण्डिक प्रकीर्ण वाद इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया गया कि –''पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक एवं विपक्षी के मध्य मुव0–6,00,000/– रूपये के लेन–देन का विवाद है। आवेदक ने यह भी कथन किया है कि विपक्षी ने किसी प्रकार उससे चैक संख्या 000006 प्राप्त कर लिया और उन चैकों में से दो चैक संख्या 000006 व चैक संख्या 000045 पर अपने लेख में मुव०–65,00,000/– रूपये (पैंसठ लाख रूपये) शब्दो तथा अंको में भरकर और उनमें दिनांक 22.04 2021 की तिथि डालकर और पेयी धारक के रूप में अपना नाम डालकर भुगतान हेतु बैंक में दिनाक 22.04.2021 को तत्पश्चात् दिनांक 19.01.2021 को प्रस्तुत किया, किन्तु आवेदक का खाता बन्द होने के कारण उन चौकों का भुगतान नहीं हो सका। उक्त तथ्यों के समर्थन में आवेदक द्वारा विवादित चौकों की प्रतिलिपि तथा न्यायालय जे०एम०, झॉसी में दायर परिवाद संख्या 9135/2021, शिवा शिवहरे बनाम अनिल कुमार, अर्न्तगत धारा 138 एन०आई० एक्ट, थाना चिरगांव, जिला झॉसी की प्रतिलिपि दाखिल की है। अतः प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र रंजिशन दायर किया गया है। जबकि आवेदक के पास एन०आई० एक्ट जो कि विशेष अधिनियम है, का विकल्प मौजूद था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी सामान्य एवं विशेष प्रावधान के बीच टकराव होता है तो विशेष प्रावधान प्रबल होता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आवेदक के पास एन०आई० एक्ट का विकल्प मौजूद होने के बावजूद भी उसके द्वारा बी०एन०एस०एस० के प्रावधानों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मत है कि आवेदक का प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० खारिज किए जाने योग्य है।''

11. इस प्रकार प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है और न ही न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर कोई विश्लेषण प्रश्नगत आदेश में किया गया है। जबकि स्वयं प्रार्थी/निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० में वर्णित कथनों के अनुसार प्रार्थी/निगरानीकर्ता एवं प्रत्यर्थी सं0 2 दोनों ही जनपद झांसी के निवासी हैं तथा प्रार्थी/निगरानीकर्ता का एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता शाखा चिरगांव झांसी में हैं, जिससे संबंधित चैक बुक के कथित चैकों का दुरूपयोग प्रत्यर्थी/विपक्षी द्वारा किया जाना प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने बताया है। दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवहरे की पत्रावली में संलग्न थाना कैलिया की आख्या दिनांकित 05.01.2025 कागज सं0 6ख/1 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्रकरण जनपद झांसी के अन्तर्गत स्थित थाना क्षेत्र चिरगांव से संबंधित है। इससे प्रथम

दृष्ट्या यह परिलक्षित होता है कि यह प्रकरण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, परन्तु विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विचार नहीं किया गया।

12. प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया गया है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता की खोई हुई चैक विपक्षी/प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा प्राप्त कर कूटरचना करके बेईमानीपूर्वक 6,00,000/–रूपये की धनराशि प्रार्थी/निगरानीकर्ता के खाते से अपने खाते में अन्तरित कर ली गयी, जो कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध होना परिलक्षित होता है, परन्तु विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया और यह उल्लिखित करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 (3) बी०एन०एस०एस० निरस्त कर दिया गया कि प्रार्थी के पास धारा 138 एन0आई0 एक्ट का विकल्प उपलब्ध है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष भी मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है।

13. इस प्रकार प्रश्नगत आदेश दिनांकित 23.01.2025 की वैधानिकता की जांच एवं समीक्षा करने से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में विधिक सिद्धान्तों एवं प्रावधानों पर समग्रता से विचार न करते हुए सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित करके विधिक त्रुटि कारित की गयी है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 23.01.2025 विधि अनुरूप नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है। निष्कर्षतः उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी संख्या–69/2025, अनिल कुमार बनाम राज्य उ0प्र0 आदि स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवहरे, अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0, थाना कैलिया में पारित आदेश दिनांकित 23.01.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे इस निर्णय में की गयी परिचर्चा के प्रकाश में प्रार्थी/आवेदक को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुएमामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पर विचार करके दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवहरे, अन्तर्गत धारा 175(3) बी0एन0एस0एस0, थाना कैलिया में पूनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

इस निर्णय की प्रति के साथ दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0 02/2025, अनिल कुमार बनाम शिवा शिवहर की मूल पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये। तत्पश्चात बाद आवश्यक कार्यवाही इस दाण्डिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–11.03.2026 **(पारूल पँवार)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–11.03.2026

(पारूल पँवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
जालौन स्थान उरई।